

प्रारूप- सात
(नियम 11 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा-27 के अधीन शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

01. सोसायटी का पूरा नाम व पता — वेदांत शिक्षण समिति
98, सर्वोदय कालोनी, खंडवा (म.प्र.)
02. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख — IND/4234/99, 16/07/99
03. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मेलन की तारीख — 15/08/2021
04. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची — कार्यकाल तारीख 08/08/2021 से तारीख 07/08/2024 तक

क्र.	नाम, पिता / पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्रीमती आशा खरे पति श्री रमेश प्रसाद खरे	ग्राम-करगुआ, तहसील पृथ्वीपुर, जिला- टीकमगढ़	अध्यक्ष	समाज सेवा	आशा खरे
2	श्री अनमोल श्रीवास्तव पिता श्री राजीव श्रीवास्तव	25, श्रीकृष्णा सोसायटी, धुना भटटी, कोतार रोड, भोपाल	उपाध्यक्ष	नौकरी	Anmol Shrivastava
3	श्रीमती शशि सक्सेना पति श्री ओमप्रकाश सक्सेना	194, जावरा कम्पाउन्ड, 201, नाकोडा अपार्टमेंट, इन्दौर	सचिव	समाज सेवा	Shashi Saxena
4	श्रीमती क्षमा खरे पति श्री राजीव खरे	एल.बी.एस. कैंपस, हम्पिड्या रोड, हरदा (म.प्र.)	कोषाध्यक्ष	शिक्षण	Kshama Khare
5	श्री संजीव कुमार पिता श्री आर.पी. खरे	सागर सर्वोदय कॉलोनी, सिविल लाइन्स, खण्डवा (म.प्र.)	सदस्य	शिक्षण	Sanjiv Kumar
6	श्रीमती डॉ शिखा वर्मा पति श्री राकेश वर्मा	बी 20, कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल (म.प्र.)	सदस्य	चिकित्सक	Shikha Verma
7	श्री अबीर खरे पिता श्री राजीव खरे	एल.बी.एस. कैंपस, हम्पिड्या रोड, हरदा (म.प्र.)	सदस्य	व्यवसाय	Abir Khare

05. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा-27 के अधीन रु. 2000/- (दो हजार मात्र) की वार्षिक फीस विलंब शुल्क सहित (वर्ष 2021) चालान क्रमांक MPT147521102021000050 दिनांक 21/10/2021 द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी ऑनलाइन प्रति संलग्न है।

घोषणा

मैं श्रीमती आशा खरे पति श्री रमेश प्रसाद खरे आयु लगभग 76 वर्ष, एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा-38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड की दायी हो रहूँगी।

हस्ताक्षर : आशा खरे

नाम - श्रीमती आशा खरे

अध्यक्ष

वेदांत शिक्षण समिति
वेदांत शिक्षण समिति